



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062026-273179  
CG-DL-E-05062026-273179

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2703]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948

No. 2703]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISHTHA 12, 1948

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2026

**का.आ. 2796(अ).**— जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा 02 जून, 2026 को वह तारीख तय करती है जिस दिन उक्त अधिनियम के प्रावधान, जहां तक यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 61 और उसमें प्रविष्टियों से संबंधित है, लागू होंगे।

[फा. सं. एल-16016/1/2026-जीपी-1 (ई:55006)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2026

**S.O. 2796(E).**— In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 02<sup>nd</sup> day of June, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 61 and the entries thereto in the Schedule to the said Act relating to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006, shall come into force.

[F. No. L-16016/1/2026-GP-I (E:55006)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 2 जून, 2026

**का.आ. 2797(अ).**— जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 के 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा 02 जून, 2026 को वह तारीख तय करती है जिस दिन उक्त अधिनियम के प्रावधान, जहां तक यह पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि पर प्रयोक्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में संख्या 30 और उसमें प्रविष्टियों से संबंधित है, लागू होंगे।

[फा. सं. एल-16016/1/2026-जीपी-1 (ई:55006)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd June, 2026

**S.O. 2797(E).**— In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 02<sup>nd</sup> day of June, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 30 and the entries thereto in the Schedule to the said Act relating to the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, shall come into force.

[F. No. L-16016/1/2026-GP-I (E:55006)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.